उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5453/62-2-2017-26एम0आई0/2016
लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

तहसील मडिहान क्षेत्रान्तर्गत हिनौना राजबहा व उसी से निकली चौबेपुर माइनर, कुसुम्हा पडरिया खुर्द, बभनी माइनर में गेट निर्माण में सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने संबंधी जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्र सं0-1865/एस0टी0/शि0/जांच आख्या-2016, दिनांक 20.9.2016 द्वारा श्री इरुनुददीन सिददकी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मिर्जापुर द्वारा तथ्यों की सही जांच न कर तथा गलत/मिथ्या रिपोर्ट देने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिकारी को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2898/62-2-2016-26एम0आई0/2016, दिनांक 09.01.2016 द्वारा श्री दीनानाथ गुप्ता, विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री दीनानाथ गुप्ता के पत्र दिनांक 29.6.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.3.2017 से 30.6.2017 तक अस्वस्थ रहने व दिनांक 30.6.2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उपलब्ध कराये गये पत्रों तथा प्राप्त पत्रों को मूलरूप में वापस कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5453(1)/62-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर /जॉच अधिकारी, को श्री इरुनुददीन सिददकी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मिर्जापुर के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियॉ संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना से शासन को अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायें।
2- जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्र सं0-1865/एस0टी0/शि0/जांच आख्या-2016, दिनांक 20.9.2016 के संदर्भ में।
3- संबंधित अधिशासी अभियंता की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in